

1299

म्यागलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - रूपखंडी)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1019 दायर दिनांक 9/10/25 निर्णय दिनांक 09/10/25

रिपोर्ट

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रूपखंडी</u> प.ह. <u>रूपखंडी</u> खालास <u>110</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			हस्ताक्षर एवं प्रविष्टी	हस्ताक्षर पिरस्तावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार				

प्रतिनिधि पालनार्थ:- पदवार मण्डल कपासन

तहसीलदार (भू.अ.)

1. पदवारी पदवार मण्डल कपासन जिला वित्तौडगढ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला वित्तौडगढ

तहसीलदार कपासन

तहसील कपासन जिला-वित्तौडगढ